प्रति,

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय
संभाग नर्मदापुरम,

विषयः-- थाना प्रभारी मोहित दुबे एवं कांस्टेवल पूनम तिवारी थाना रानीपुर द्वारा वसूली कर 10 हजार रू. लिये जाने बाबत्।

महोदय जी

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरा पुत्र नितिन तुमडाम उसके अन्य तीन मित्रों के साथ अपने रिस्तेदार रामदास इवने निवासी ग्राम दूधावानी के घर दिनांक 27.05.2023 रात्रि लगभग 8बजे गये थे। इसके बाद ग्राम दूधावानी से अपने घर सडकवाडा घर वापस आते समय ग्राम दूधावानी में कुछ अज्ञात लोगो द्वारा मेरे पुत्र नितिन एवं उसके साथीगणों को रास्ते में रोककर विवाद करने लगे और उनकी मोटरसायकिल अज्ञात लोगो द्वारा छीन ली गई। जिसकी सूचना मेरे रिस्तेदार रामदास इवने को लगते ही उनके द्वारा 100 नबंर पर काल करके पुलिस को मौके पर बुलाया गया पुलिस मौके पर आयी जिन्हे घटना की सारी जानकारी से अवगत कराया गया एवं पुलिस द्वारा छीनी हुई मोटर सायकिल वापस करवाई गई एवं पुलिस वालो ने कहा कि कल 11 बजे थाने आना। दूसरे दिन दिनांक 28.5.2023 को जब हम थाना रानीपुर पहुंचे तो कांस्टेवल पूनम तिवारी ने मेरे पुत्र को थाना प्रभारी मोहित दुबे से मिलवाया और थाना प्रभारी से मेरा पुत्र मिला तो थाना प्रभारी ने कहा कि तुम 50 हजार रू. की व्यवस्था करों तब तुम्हारा केस रफा दफा होगा। इतनी बडी रकम सुनकर मेरे पुत्र ने थाना प्रभारी के हाथ पैर जोडकर कहा कि साहब 50 हजार की रकम बहुत बडी है मेरे पिता जी मजदूरी का काम करते है और मैं इतना पैसा कहा से लाउंगा। तो थाना प्रभारी ने कहा कि तुम गरीब हो चल मै मान लेता हूँ लेकिन 10 हजार रू. तो तुम्हे देना ही पडेगा। मेरा पुत्र चूँकि पुलिस से बहुत डरा हुआ था इसलिये मेरे पुत्र ने फोन लगाकर मुझसे कहा पापा पुलिस वाले को 10 हजार रू. थाने में देना है नही तो पुलिस वाले मेरे उपर केस कर देंगे। यह सुनकर मैने मेरे रिस्तेदार से 10 हजार रू उधार लेकर पूनम तिवारी को दिलाने के बाद मेरे पुत्र को छोडा। चूँकि थाना प्रभारी मोहित दुबे एवं कांस्टेवल पूनम तिवारी से मैं काफी डरा हुआ एवं भयभीत होने के कारण मेरे द्वारा इस घटना की शिकायत आज दिनांक को की जा रही है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि थाना प्रभारी मोहित दुबे एवं कांस्टेवल पूनम तिवारी दोनो ही मिलकर क्षेत्र के गरीब आदिवासी लोगो के साथ इस तरह अवैध राशि वसूली का काम कर रहे है। इनकी कार्यशैली से हमारे क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग एवं अन्य समाज के लोग भी बहुत प्रताडित है कृपया मेरे पुत्र से 10 हजार रू. की अवैध राशि थाना प्रभारी मोहित दुबे एवं कांस्टेवल पूनम तिवारी द्वारा वसूली की गई है उसे वापस कराने तथा इनके उपर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि भविष्य में मेरे किसी आदिवासी भाई बहन के साथ इस तरह की घटना दोबारा न हो।

प्रार्थी

प्रेमचंद

दिनांक– 28.07.2023

प्रेमचंद आ. ब्रजलाल तुमडाम
निवासी सडकवाडा तह. घोडाडोंगरी
थाना रानीपुर जिला बैतूल म.प्र.

डिस्पेचर 28/7/23
आवक जावक शाखा
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक
नर्मदापुरम जोन नर्मदापुरम

CamScanner